बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बाँका वन प्रमंडल, बाँका।

वरीय प्रबंधक (एल.पी.जी. प्रोजेक्ट),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (वि0प्र0),
इण्डेन बॉटलिंग प्लान्ट, बाँका

पटना 14, दिनांक–

विषय – बाँका जिलान्तर्गत ग्राम मसुदनपुर में IOCL के बॉटलिंग प्लान्ट के (Entrance/ Exit and Emergency Exit Point) पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1239 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/37366/2018/3168 दिनांक 30.05.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 0.1239 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है–

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 0.1239 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 77,561/– (रूपये सतहतर हजार पाँच सौ एकसठ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–2 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर पर हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 पौधों के रोपण हेतु रू० 7,04,410/– (रूपये सात लाख चार हजार चार सौ दस) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. **उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 7,81,971/– (रूपये सात लाख इक्कासी हजार नौ सौ एकतहर) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 14 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC 440 दिनांक– 11/6/2019

प्रतिलिपि– वन संरक्षक भागलपुर अंचल, भागलपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/19

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।